साप्ताहिक न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

महत्वपूर्ण एवं खास

स्वीप गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के संबंध में बैठक आज

रायगढ़। विधानसभा निर्वाचन 2018 अंतर्गत जिले के मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोडने् तथा निर्वाचन से संबंधित व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक आहूत की गई है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधितों को बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कहा है।

प्रस्तावित हवाई अड्डा शीघ्र प्रारंभ करने की मांग- चेंबर

रायगढ़। रायगढ़ में प्रस्तावित हवाई अड्डे पर अभी तक ग्रहण लगा हुआ है जबकि अंबिकापुर बिलासपुर में यह तैयार हो चुका है। प्रदेश की औद्योगिक नगरी के रूप में विकास कर रहे रायगढ़ जिले को सुविधाओं की दृष्टि से हमेशा ही अछूता रखा जाता है यहां तक कि पिछले 20 वर्षो से लंबित टर्मिनल की मांग को भी दरकिनार कर दिया गया है। जबकि पड़ोस के राज्य उड़ीसा के झारसुगड़ा को सभी सुविधाएं मिलती जा रही हैं यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है जबकि घरेलू उड़ानों के लिए यह तैयार होकर उद्घाटन की राह देख रहा है।

अब इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि रायगढ़ में हवाई अड्डे की प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी जबकि होना यह चाहिए था कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायगढ़ को मिलता और यहां रेल टर्मिनल भी बन जाता जिससे यहां आने जाने वाली सभी यात्री गाड़ियां यहां रूकती और रायगढ़ एक औद्योगिक नगरी के साथ-साथ इन सुविधाओं के कारण यात्रियों और औद्योगिक घरानों के आकर्षण का केंद्र भी बन जाता। रेल टर्मिनल और हवाई मार्ग के उपलब्ध होने से और भी औद्योगिक घराने निवेश के लिए रायगढ़ का रुख करते। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि वह रायगढ़ में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए प्रयास करें और शीघ्रता शीघ्र इसे प्रारंभ करवाएं साथ ही रायगढ़ के जनप्रतिनिधि और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को इस हेतु पत्र लिखें और रायगढ़ की जनता जो कि प्रदूषण की मार तो बराबर झेल रही है परंतु सुविधाओं की दृष्टि से हमेशा ही उपेक्षित रहती आई है उसे कम से कम इन सारी सुविधाओं के कारण एक बाजार मिल सके आज लौह इस्पात के कारखानों की हालत खराब होने के कारण रायगढ़ का व्यापार जगत डगमगा सा गया है जिसे पटरी पर लाने के लिए इस प्रकार के उपायों की सख्त आवश्यकता है।

डेंगू के लक्षण एवं रोकथाम के बारे में दी गई जानकारी

रायगढ़। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय वेक्टर रोग जनित नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डेंगू फीवर के रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु रायगढ़ जिले में भी हाई अलर्ट किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.टी.के. टोण्डर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में रायगढ़ जिले में डेंगू रोकथाम हेतु सभी प्रकार की तैयारी की गई है विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष डेंगू के संदेहास्पद प्रकरण नहीं के बराबर है।

डॉ. टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि डेंगू बीमारी एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है और ये मच्छर दिन के समय ही काटता है। यह डेंगू वायरस द्वारा होता है जिसके चार टाईप होते हैं, टाइप 1,2,3,4 आम भाषा में इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है और डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके लगभग 3 से 5 दिनों बाद ऐसे व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। यह संक्रामक काल 3 से 10 दिनों तक भी हो सकता है। डेंगू बुखार होने से लोगों शरीर में निम्न लक्षण है पाए जाते है जैसे ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार आना, सिर मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखो के पीछे भाग में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी होना, लाल ददोरे होना, नाक, मुंह और मसूड़ों से खून आना।

छुट्टी ऐलान के बाद भी प्राईवेट स्कूल खुला रहा

प्राईवेट स्कूल के संचालक की मनमानी

भिलाई (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समस्त स्कूल एवं शासकीय कार्यालय का छुट्टी के ऐलान के बावजूद प्राईवेट स्कूल के संचालक स्कूल के स्टाफ एवं टिचर को बुला कर पूरा काम लिये है। छग शासन के आर्डर की अनदेखी दुर्ग जिले के कई प्राईवेट स्कूल के संचालक ने अपनी मनमानी किया। 16 अगस्त को छग के राज्यपाल के निधन का छुट्टी एवं 17 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के निधन का समाचार सुनते ही छग शासन ने छुट्टी का ऐलान किया मगर दुर्ग से कुम्हारी के बीच प्राईवेट स्कूल के संचालक छुट्टी तो दिये केवल बच्चों को जिससे डीजल बचा सके। मगर स्टाफ एवं टिचर को पूरा काम कराया। क्या नियम के विरूध नही जिला शिक्षा अधिकारी क्या ऐसे स्कूल पर कार्यवाही करेंगे या नही। क्या इस विषय को कलेक्टर संज्ञायन में लेगे या नही देखनीवाली बात होगी।

घर में घुसकर मृत्यु कारित करने के प्रयास सम्बंधी हमले की शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय

ननसियां प्रकरण में पीड़ितों को परेशान करने व 457, 307, 34 के कथित आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर चर्चे में है - जूटमिल पुलिस थाना

टांगी के घातक हमले से आहत महिला दस दिन से अस्पताल में इलाजरत

खुले घूम रहें हैं अपराधी और पीड़ित के परिवार को कर रहे हैं परेशान

न्यायसाक्षी रायगढ़।

कुछ महीनों पहले जिला पुलिस की कमान सम्हालने वाले युवा ऊर्जावान और साफ स्वच्छ छवि के पुलिस कप्तान दीपक झा ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में कहा था कि वे अपराध नियंत्रण के साथ, जिले के सभी थानों में सोशल पुलिसिंग को प्राथमिकता देंगे। जिले में सक्रिय असमाजिक तत्वों, माफियाओं के विरुद्ध ताबड़-तोड़ कार्यवाही के अलावा दागी पुलिसकर्मियों पर प्रारम्भिक निष्पक्ष रूप से एक्शन लेकर भी एस पी साहब सुर्खियों में रहे।आज भी उनके आचरण को लेकर कोई यह नही कह सकता कि कोई पीड़ित न्याय से वंचित रह जाएगा। परन्तु प्रश्न केवल यह है कि क्या एस पी रायगढ के सोशल पुलिसिंग के अनुरूप मुख्यालय की पुलिस कार्य कर रही है? जूटमिल थाना पुलिस के ननसियां प्रकरण में संस्थित घटनाक्रम को देखकर तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नही लगता, कि थाना जूटमिल को समाजिक और न्यायिक जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास है। यदि ननसियां प्रकरण में पीड़ित पक्ष के द्वारा विस्तार से बताई गई अब तक कि घटनाओ पर गौर किया जाए तो पाएंगे जूटमिल थाना एस पी रायगढ़ के प्रयासों को धत्ता बताने पर तुली हुई है।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार जूटमिल पुलिस चौकी के अंतर्गत ननसिया की महिला को बीते दिनों कुछ आपराधिक तत्वों ने घर मे घुसकर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार कर घायल कर दिया था। पीड़िता के अनुसार घर बनाने को

पीड़िता का पति मनोहर

लेकर पड़ोसी से हुए विवाद को लेकर उसने बदला लेने की नीयत से रायगढ़ से अपने परिचितों को बुला कर घटना के दिन बालात उसके घर घुस कर उससे और उसके पति सहित बूढी सास एवं अन्य से मारपीट करने लगे। बताया गया कि करीब 10 की संख्या में घर में घुसे लोग हथियारबंद थे, उनमें से एक व्यक्ति जो धारदार टांगी रखा था, उसने उस पीड़िता को सर में मारा जो कि अभी भी अस्पताल में एडमिट हैं। ये आहत महिला स्वयं ना तो खाना खा पा रही ना ही पानी पी पा रही,और ना ही नित्य क्रियाए अकेले कर पा रही है।

मजे की बात ये है कि इस महिला को स्वयं पुलिस के लोगों ने ही भर्ती किया है, और इसके बयान के बाद भी पुलिस ने आज दिनॉंक तक हमले में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को ना तो सीज़र किया और नाही पुलिस अबतक घटनास्थल पर पहुॅंची, ना ही आसपास के लागों से घटना के सम्बंध में बयानात् दर्ज किए गए हैं।

अस्पताल में भर्ती पीड़िता

क्या है मामला

जहाँ दस से इलाजरत पीड़ित पुष्पांजलि महंत पति मनोहर महंत उम्र 28 वर्ष निवासी ननसिया ने बताया कि उसे प्रधान मंत्री आवास के तहत मकान बनाने को मिला था। जिसे बनवाते समय उसके घर का छज्जा पड़ोसी केशव महंत के मकान को छू रहा था। जिस पर केशव महंत ने उसे छज्जा हटाने को कहा। जब उसने इसके लिए कुछ मोहलत मांगी, तब केशव महंत, हेमलाल महंत और उसके दामाद ने मनोहर महंत के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच-बचाव करने आई पुष्पांजलि को भी आरोपियों ने धारदार कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। इस घटना में पुष्पांजलि गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया कि, मारपीट में बीच बचाव करने गई, उसकी 11 वर्षीय बेटी के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता ने कहा कि, इस घटना को कई दिन बीत गए, लेकिन जूटमिल पुलिस ने इस संबंध में जानकारी होने के बाद भी आरोपियों के विरुद्ध अभी तक कोई मामला दर्ज नही किया, हमारे घर में घुसकर मार-पीट करने वाले सारे अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि, पुलिस ने मेरे ससुर देवर और पति को कहा कि मुझे उठाकर थाना लेकर आए, जबकि में जाने लायक नहीं हूँ , पुलिस के कतिपय अधिकारी जमानतदार लगेगा, थाना आओं कहकर उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं।अपनी शिकायत पर कार्रवाही की जानकारी लेने गए पुष्पांजलि के ससुर सुफलदास को जूटमिल चौकी पुलिस में पदस्थ किसी महिला एसआई ने थप्पड़ जड़ दिया और सास वेदमति का कान मरोड़ दिया, जिसके बाद से पीड़ित पक्ष बेहद डरा-सहमा है। गौरतलब है कि, पीड़ित पक्ष ने जिला पुलिस अधीक्षक से घटना की लिखित में शिकायत की थीं जिसकी पावती भी उनके पास है।

पीड़िता चाहती है कि आरोपियों को मिले सजा

वहीं अस्पताल में इलाजरत पुष्पांजलि ने न्यायसाक्षी से कहा कि उसे कुल्हाड़ी से आहत कर मरणासन्न करने वाले आरोपियों के खिलाफसख्त से सख्त करवाई की जाय। और वो इस हेतु अगर जिंदा बची तो न्याय के लिए लड़ना चाहती है। पीड़िता के पति मनोहर एवं परिवार वालों ने कहा है कि पुलिस को इस मामले में धारा 457,307 34 के साथ अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज करना चाहिए लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाही नहीं की जो कि अपने-आप में प्रश्नचिन्ह बनाता है। पीड़िता के ससुर ने पूरे मामले को लेकर पुनः पुलिस अधीक्षक से मिलने का सोचा है, साथ ही यह भी कहा कि यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो वे सामाजिक न्याय संघ की मदद लेंगें, साथ ही राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित डीजीपी, महानिरीक्षक आदि पुलिस अधिकारियों तक आवेदन करेंगें। कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित पक्ष धरने पर बैठने से भी गुरेज नही करेगा। वही जूटमिल चौकी पूरे मामले को लेकर अजीब सी निषि यता के साथ बैठी है, पूछने पर पुलिस घटना में सही कार्रवाही कर रही है, की बात कही गई।

छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी

रायगढ़। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ का एक सूत्रीय मांग के तहत किया जा रहा अनिश्चित कालीन हड़ताल आज 24 वे दिन पर पहुंच गया है। आज आंदोलन कारियों ने मिनी स्टेडियम के पास सड़क के किनारे धरना प्रदर्शन किया। और अपनी मांगों के तहत सरकार के विरूद्ध जम कर नारे लगाए। गौरतलब है कि संघ के द्वारा सीधी भर्ती के तहत भरे गए आकस्मिक निधि चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को प्रथम 03 वर्ष तक कलेक्टर दर पर सेवा अवधि पश्चात नियमित वेतनमान रुपये 4750-7440 ग्रेड वेतन 1300 का लाभ देने की मांग पर यह आंदोलन किया जा रहा है। 16 जुलाई 20018 से यह हड़ताल जारी है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें ....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की
खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

सामाजिक न्याय संघ
शासन से मान्यता प्राप्त
Registered with Govt. No. 5526
SJU Social Justice Union
अधिकार से न्याय तक

क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर- राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

हमारी उपलब्धियां

शासकीय मान्यता प्राप्त संघ में ऊर्जावान कर्मठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों की आवश्यकता है। जो भी इस संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहते हों वे अपने समस्त बायोडाटा के साथ सामाजिक न्याय संघ के निम्नांकित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

आवश्यकता है

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरवा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.)
प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090
E-mail ID- sjunion29@gmail.com website : www.sjunion.org